भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1873** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 06 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर लाइनों के लिए नये नियम

†1873. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर लाइनों को घरेलू ऑपरेटरों के लिए 5 प्रतिशत कार्गो स्थान आरक्षित करने की आवश्यकता वाले नए नियम के पीछे क्या तर्क है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है कि घरेलू ऑपरेटर आरक्षित कार्गो स्थान का उपयोग कर सकें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके कार्यान्वयन से शिपिंग क्षेत्र में लागत में वृद्धि या अकुशलता न हो;

(ग) इस नये नियम से भारत के शिपिंग उद्योग और अर्थव्यवस्था सहित अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों पर क्या लाभ / प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) सरकार का किस प्रकार नए नियम के अनुपालन की निगरानी करने, चोरी रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर लाइनों से संभावित चिंताओं का समाधान करने का विचार है;

(ङ) घरेलू ऑपरेटर को अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर लाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता देने के लिए क्या समर्थन तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) नये नियम और पोत- साझाकरण समझौते के कार्यान्वयन के लिए क्या समय- सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): नौवहन महानिदेशालय ने, तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के प्रावधानों द्वारा लाइनर पोत परिवहन उद्योग के वैसल्स शेयरिंग एग्रीमेंट (वीएसए) (जलयानों को साझा करने वाला करार) में छूट देने के लिए हितधारकों के विचार मांगते हुए सार्वजनिक डोमेन में एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है। मसौदा अधिसूचना में प्रस्ताव है कि छूट इसी शर्त पर की जा सकती है

कि भारतीय जलयानों द्वारा ऐसे वीएसए के तहत उपलब्ध कुल स्थान का कम से कम 5% तथा गैर-भारतीय जलयान ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर (एनवीओसीसी) कंपनी को ऐसे वीएसए में कुल स्थान का कम से कम 5% आवंटित किया जाए। इस मसौदा अधिसूचना में नियमित रिपोर्टिंग और निगरानी के साथ नौवहन महानिदेशालय के माध्यम से अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए एक तंत्र का भी प्रस्ताव किया गया है। इस मसौदा अधिनियम के आधार पर, सरकार द्वारा अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया हैं।

******